न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

(पीठासीन अधिकारी :– चिरंजीलाल दायमा, आर0 ए0 एस0)

अपील संख्या :– 40/2007 अन्तर्गत धारा 223 आर0 टी0 एक्ट

उनवान :–

1. सन्तरा पुत्री हजारी स्त्री इंदराज जाति गूजर निवासी मलपुरा तहसील कोठपूतली जिला जयपुर ।
2. श्योराम पुत्र हजारी गूजर निवासीस मौरोडी तहसील बानसूर जिला अलवर (राजस्थान)

:—— अपीलांटस/प्रतिवादीगण

बनाम

1. श्योनारायण पुत्र चुन्ना गूजर
2. रामजीलाल पुत्र चुन्ना गूजर
3. मु0 धापली बेवा सोहन गूजर
4. मु0 दुर्गी बेवा लालूराम पुत्रवधु सोहन गूजर
5. रामसिंह पुत्र लालूराम सुपौत्र सोहन गूजर
6. प्रकाश पुत्र लालूराम सुपौत्र सोहन गूजर
7. रोशन पुत्र लालूराम सुपौत्र सोहन गूजर
8. महेन्द्र पुत्र लालूराम नाबालिग जरिये सरपरस्त माता दुर्गी बेवा लालूराम पुत्रवधु सोहन गूजर
9. मु0 महादी बेवा गाहडाराम गूजर
10. जब्बू पुत्र गाहडाराम गबूजर
11. ख्याली पुत्र गाहडाराम गूजर
12. विशम्भर पुत्र गाहडाराम गूजर
13. सुवा पुत्र गाहडाराम गूजर
14. शिम्भू पुत्र गाहडाराम गूजर
15. ननचा पुत्र गाहडाराम गूजर
16. बंशी पुत्र गाहडाराम गूजर

निवासीयान मौरोडी तहसील बानसूर जिला अलवर ।

:— असल रेस्पो0/वादीगण

17. तहसीलदार बानसूर बहैसियत लैण्ड होल्डर तह. बानसूर

:—— तरतीबी पक्षकार

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री उप जिला कलेक्टर,
दिनांक 18.4.2007

उपस्थित :– 1. वकील अपीलांटस :– श्री लक्ष्मण सिंह पोसवाल
2. वकील असल रेस्पो0 :– श्री अशोककुमार मुदगल

निर्णय दिनांक 9.2.2016

1. प्रस्तुत अपील न्यायालय उप जिला कलेक्टर, बानसूर द्वारा राजस्व वाद संख्या 118/2006 उनवान श्योनारायण वगैरा बनाम सन्तरा वगैरा में पारित निर्णय दिनांक 18.4.2007 के विरूद्ध है, जिस निर्णय के द्वारा वादी असल रेस्पो0 का उक्त वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 एवं 188 आर0 टी0 एक्ट डिक्री किया गया है ।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण असल रेस्पो0 ने तहत न्यायालय में वाद पत्र इस आशय का पेश किया कि आराजी साबिक खसरा नम्बर 368 मिन रकबा 8 बीघा, 369 मिन रकबा 12 बिस्वा वाके ग्राम मौरोडी तहसील बानसूर वादीगण की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है । टिनेंसी एक्ट एवं जमींदारी बिस्वेदारी उन्मूलन अधिनियम लागू होने के दिन वादीगण के बुजुर्गान काबिज काश्तकार थे । परन्तु बंदोबस्त सम्वत 2021 में इस भूमि को गलत तौर पर असल प्रतिवादी के पिता हजारी के नाम दर्ज कर दी । अतः दावा डिक्री किया जावे । तहत न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश द्वारा उक्त वाद डिक्री किया है,जिसकी यह अपील असल प्रतिवादीगण ने पेश की है ।

3. विद्वान वकील अपीलांटस असल प्रतिवादीगण ने अपनी बहस में तर्क दिये कि विद्वान तहत न्यायालय ने गलत तौर पर हमारी इकतरफा कर दी । दिनांक 27.7.2006 को हमारे वकील साहब ने तहत न्यायालय में अपना वकालतनामा पेश किया था और दिनांक 7.11.2006 की आगामी तारीख पेशी लेकर गये थे । फिर भी उनकी गैर हाजरी दर्ज करके इकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर वाद पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी गलत तौर पर नियत कर दी । असल प्रतिवादीगण की ओर से वकालतनामा पेश होने के बावजूद भी प्रतिवादी सन्तरा की पुनः तामील हेतु दिनांक 30.8.2006 को तारीख पेशी 31.8.2006 के लिए सम्मन जारी कर दिया गया । जबकि हमको तारीख पेशी 7.11.2006 बताई थी । दिनांक 30.8.2006 को ही तामिल कुनिन्दा ने रिपोर्ट कर दी कि सन्तरा को तलाश किया तो वह घर पर मिली, लेकिन तामील लेने से इन्कार कर दिया । इस नोटिस पर फर्जी गवाहों के हस्ताक्षर करवा लिये । कुल कार्यवाही साजिशी तौर पर हुई है । अगर सन्तरा ने तामिल लेने से इन्कार कर दिया था तो नोटिस मकान पर चस्पा करना चयाहिये था, जैसा कि आदेश 5 नियम 17 सी0 पी0 सी0 में उल्लेखित किया गया है । शपथ पत्र भी पेश नहीं किया गया है । अगर शपथ पत्र पेश नहीं किया जाता तो तामिल कुनिन्दा के

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

बयान कराये जाने चाहिये थे, जैसा कि आदेश 5 नियम 19 सी0 पी0 सी0 में प्रावधान किया गया है । अपीलांट असल प्रतिवादी सन्तरा ग्राम मौरोडी तहसील बानसूर में निवास न करके ग्राम मलपुरा तहसील कोठपूतली में निवास करती है । उसके सम्मन उपखंड अधिकारी, कोठपूतली को भेजने चाहिये थे, जैसा कि आदेश 5 नियम 21 सी0 पी0 सी0 में उल्लेखित किया गया है कि न्यायालय की अधिकारिता के बाहर अन्य न्यायालय की अधिकारिता के भीतर निवासी करने वाले प्रतिवादी की तामील उस अन्य न्यायालय को भेजी जावे । आर0 आर0 टी0 2004 (1) राज0 उच्च न्यायालय पेज 01 में अनुचित तामील होने पर अर्थात तामील कुनिन्दा द्वारा आदेश 5 नियम 17 सी0 पी0 सी0 की पालना नहीं करने पर एकपक्षीय डिक्री को अपास्त करने का विधिसम्मत माना है । आर0 आर0 टी0 2002 (2) पेज 1310 में माननीय राजस्व मण्डल ने आदेश 5 नियम 17 से 20 की उल्लंघना करके करवाई गई तामील को अनुचित तामील की श्रेणी में माना है । आर0 आर0 टी0 2002 (1) पेज 153 में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि ऐसे तामील कुनिन्दा की परीक्षा की जानी चाहिये, जो नोटिस पर यह रिपोर्ट करते हैं कि प्रतिवादी ने नोटिस लेने से इन्कार किया, एक प्रति दीवार पर चस्पा की । इस नजीर में यह भी व्यवस्था दी है कि यह न्यायालय का कर्त्तव्य है कि वह तामील कुनिन्दा की रिपोर्ट के आधार पर एकपक्षीय कार्यवाही करने से पहले देखे कि पक्षकार को विधि के अनुरूप तामील हुई है अथवा नहीं । आर0 आर0 टी0 2010 (2) पेज 1239 में माननीय राजस्व मण्डल ने बिना तामील कुनिन्दा की परीक्षा के तामील को अनुचित तामील माना है । आर0 आर0 डी0 1984 पेज 45 व 111 में व्यवस्था दी गई है कि बिना सुने कोई फैसला नहीं करना चाहिये । परन्तु विद्वान तहत न्यायालय ने उपरोक्त समस्त तथ्यों पर गौर नहीं किया और गलत तौर पर हमारी इकतरफ कर दी गई । अतः निवेदन है कि अपील स्वीकार कर पुनः सुनवाई हेतु प्रकरण रिमांड किया जावे ।

4. विद्वान वकील असल रेस्पो0 का कथन है कि सन्तरा की तामील तहसीलदार, कोठपूतली से कराई गई है । इनकी प्रोपर तामील हुई है । तामील में आदेश 5 के नियमों की पूर्ण रूप से पालना की गई है । इनका वकालतनामा पेश हुआ है । प्रकरण में तारीख पेशी 31.8.2006 नियत की गई थी, 7.11.2006 नियत नहीं की गई थी । दिनांक 31.8.2006 को ये बावजूद तामील उपस्थित नहीं हुये थे,इसलिये इनकी सही तौर पर इकतरफा की गई थी । तहत न्यायालय के निर्णय में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं है । अतः निवेदन है कि अपील खारिज की जावे ।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्षीय बहस तर्कों पर गौर किया । अपीलांट का मुख्य तर्क यही है कि उनके वकील साहब ने जब दिनांक 27.7.2006 को वकालतनामा पेश किया था, उस समय उनको आगामी तारीख पेशी 7.11.2006 बताई गई थी । परन्तु बाद में प्रकरण में हमारी पीठ पीछे से 31.8.2006 नियत करके दिनांक 30.8.2006 को सन्तरा की तामील हेतु नोटिस जारी कर उसकी फर्जी तामील करवाकर गलत तौर पर दिनांक 31.8.2006 को इकतरफा कर दी गई,जबकि वास्तव में तारीख पेशी 7.11.2006 बताई गई थी । इस सम्बन्ध में हमने तहत न्यायालय की आदेशिकाओं का अवलोकन किया । आदेशिका दिनांक 27.7.2006 के अवलोकन से स्पष्ट है कि इस दिन प्रकरण में आगामी पेशी दिनांक 31.8.2006 नियत की गई थी । दिनांक 27.7.2006 को असल प्रतिवादी श्योराम एवं सन्तरा की ओर से श्री धनसीराम रावत एडवोकेट ने उपस्थित

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

होकर अपना वकालतानामा पेश किया । दिनांक 7.11.2006 की पेशी नियत किये जाने का कोई हवाला किसी भी आदेशिका में नहीं है । इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि तारीख पेशी दिनांक 27.7.2006 को असल प्रतिवादीगण की ओर से उनकी वकील उपस्थित हो चुके थे और उनको आगामी तारीख पेशी 31.8.2006 की जानकारी भलीभांति थी । परन्तु दिनांक 31.8.2006 को वे बावजूद तामील उपसंजात नहीं हुए, इसीलिये उनकी इकतरफा की गई थी । प्रकरण में तारीख पेशी 7.11.2006 नियत ही नहीं की गई थी । अगर प्रतिवादी को लगता था कि तारीख पेशी 7.11.2006 नियत की गई थी तो फिर वह 7.11.2006 को तहत न्यायालय में क्यों नहीं आया । अगर वह दिनांक 7.11.2006 को तहत न्यायालय मे आता तो उसे तारीख पेशी दिनांक 4.12.2006 की तो जानकारी हो ही जाती और वह दिनांक 31.8.2006 को हुई अपनी इकतरफा को खुलवाने की कार्यवाही करता । परन्तु जब प्रकरण में दिनांक 7.11.2006 नियत ही नहीं की गई थी तो फिर वह दिनांक 7.11.2006 को कैसे तहत न्यायालय में आता । तारीख पेशी तो 31.8.2006 नियत की गई थी और उस दिन वह बावजूद तामील के उपस्थित नहीं हुआ, इसीलिये उसकी सही तौर पर इकतरफा की गई थी ।

जहां तक विद्वान वकील असल प्रतिवादीगण अपीलांटस द्वारा पेश नजीरों का सम्बन्ध है तो इस बारे में न्यायालय हाजा का विनम्र मत है कि उन नजीरों में सम्यक रूप से तामील नहीं हुई थी अर्थात सी0 पी0 सी0 के आदेश 5 के नियमों की पालना नहीं की गई थी । सम्यक रूप से तामील नहीं होने के कारण प्रतिवादी न्यायालय में उपस्थित नही हो पाया था । जबकि प्रस्तुत प्रकरण में प्रतिवादीगण की ओर से उनके वकील द्वारा अपना वकालतनामा तहत न्यायालय में उपस्थित होकर पेश कर दिया गया था । परन्तु वे तारीख पेशी दिनांक 31.8.2006 को बावजूद तामील उपस्थित नहीं हुये थे । इस प्रकार विद्वान वकील अपीलांटस द्वारा पेश नजीरों के तथ्य प्रस्तुत प्रकरण के तथ्यों से भिन्न होने के कारण यहां लागू नहीं होते हैं ।

6. उपरोक्त समस्त तथ्यों के विवेचन की रोशनी में यह स्पष्ट हो जाता है कि दिनांक 27.7.2006 को असल प्रतिवादीगण अपीलांटस की ओर से उनके अधिवक्ता उपस्थित हो गये थे और उन्होंने अपना वकालतनामा भी पेश कर दिया था, परन्तु आगामी पेशी दिनांक 31.8.2006 को वे बावजूद तामील उपस्थित नहीं हुये थे, इसीलिये उनकी इकतरफा कर अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जिसमें हम किसी प्रकार की विधिक त्रुटि होना नहीं पाते हैं । लिहाजा अपील अपीलांटस खारिज किये जाने योग्य है ।

7. अतः आदेश है कि अपील अपीलांटस खारिज की जाकर तहत न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.4.2007 यथावत रखा जाता है ।

8. निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया । पर्चा डिक्री जारी हो । तहत पत्रावली निर्णय की प्रति के साथ वापिस लौटाई जावे । पत्रावली फैसल शुमार हो ।

(चिरंजीलाल दायमा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

(पीठासीन अधिकारी :– चिरंजीलाल दायमा, आर0 ए0 एस0)

न संख्या :– 40/2007 अन्तर्गत धारा 223 आर0 टी0 एक्ट

न :– 1. सन्तरा पुत्री हजारी स्त्री इंदराज जाति गूजर निवासी मलपुरा तहसील कोठपूतली जिला जयपुर वगैरा

:––– अपीलांटस/प्रतिवादीगण

बनाम

1. श्योनारायण पुत्र चुन्ना गूजर वगैरा
निवासीयान मौरोडी तह0 बानसूर जिला अलवर ।

:–– असल रेस्पो0/वादीगण

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री उप जिला कलेक्टर,
दिनांक 18.4.2007

स्थित :– 1. वकील अपीलांटस :– श्री लक्ष्मणसिंह पोसवाल
2. वकील असल रेस्पो0 :– श्री अशोककुमार मुदगल

पर्चा डिक्री

दिनांक 9.2.2016

अपील अपीलांटस खारिज की जाकर तहत न्यायालय द्वारा पारित ोलाधीन आदेश दिनांक 18.4.2007 यथावत रखा जाता है ।

(चिरंजीलाल दायमा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी,अलवर

Scanned by CamScanner